न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 37 / 2013

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 तलसाराम पुत्र सुरता जाति सरगरा निवासी छोपोल तहसील रेवदर जिला सिरोही		1 पदमा पत्नी भगवाना जाति कलबी निवासी छापोल तहसील रेवदर जिला सिरोही 2 कानाराम पुत्र नरसाजी जाति भील निवासी छापोल तहसील रेवदर जिला सिरोही 3 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री सुरेशचन्द्र डी0 सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 7/5/2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55 / 2010 पदमा बनाम तलसाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा प्राप्त करने एवं क्षतिपूर्ति हार्जाना प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी करने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह बाला को नियुक्त किया। उक्त अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात पैरवी हेतु हिदायत न होना जाहिर किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए, किन्तु किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट की ओर से कोई पैरवी नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उन पर साक्ष्य संग्रहित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना था, जो नहीं किया जाकर पत्रावली बिना तनकीयात कायम किए सीधे साक्ष्य में नियत की जाकर वादी पक्ष की साक्ष्य अंकित कर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया है तथा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट के हकों पर कुठाराघात किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से कब्जा करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। दौराने वाद अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अपीलाण्ट अनुपस्थित रहने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण भी दायर करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है, जिससे अपीलाण्ट का कोई सरोकार नहीं है तथा न ही अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई रेकर्डेड साक्ष्य प्रस्तुत किए है, जो अपीलाण्ट की सहायता करते हो। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर जबरन कब्जा किया है, जिसे हटवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 व 187 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधिवक्ताओं द्वारा सीधे ही साक्ष्य प्रस्तुत करने के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भाविक रूप से वादी को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया एवं बतौर साक्ष्य स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई, किन्तु अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई। इसके पश्चात दिनांक 21.02.2012 को अपीलाण्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने प्रकरण में पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर किया, जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किए। उसके पश्चात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकार को अपने प्रकरण की जानकारी हेतु सम्यक रूप से तत्पर होना चाहिए, मात्र पक्षकार द्वारा प्रकरण की अनदेखी के आधार पर प्रक्रिया को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादस्थ भूमि की रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार की खातेदारी भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अजनबी व्यक्ति द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटाकर पुनः भूमि का कब्जा रेकर्डेड खातेदार को दिलवाया जाना ही न्याय की मंशा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2010 पदमा बनाम तलसाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 7/8/2015 7.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

पाली कैम्प-जोधपुर

04.06.2018 वकुलाय उपस्थित।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 के पेज संख्या 3 के चरण संख्या 3 में निर्णय की दिनाक 07.08.2015 अंकित हो गई है, जिसे दुरूस्त कराने का निवेदन किया। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 07.05.2018 को निर्णय पारित किया गया है, किन्तु लिपिकीय त्रुटीवश निर्णय के पेज संख्या 3 के चरण संख्या 3 में दिनांक 07.08.2015 अंकित हो गई है, जिसे दुरूस्त/संशोधन किया जाना न्यायसंगत है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 के पेज संख्या 3 के चरण संख्या 3 में अंकित दिनांक 07.08.2015 के स्थान पर दिनांक 07.05.2018 दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। यह आदेश प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 का आवश्यक भाग एवं अंग रहेगा। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली